

All Ho9

AS
29/9/23.

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0-1/विविध-29/2023-617(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 23/8 /2023

विभागीय अधिसूचना सं0-1/विविध-29/2023-559(1), दिनांक-01.08.2023 के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अधिक्रमण में शारी बोर्ड द्वारा जारी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2020 में प्रशिक्षण कार्यक्रम शीर्षक अंतर्गत खंड-13 के उप-खण्ड 13(11) में प्रावधानित जिला रेजिडेन्सी कार्यक्रम (डी0आर0पी0) के प्रावधानों को राज्य के सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय हेतु यथावत लागू किया गया है।

2- उक्त आलोक में राज्य अंतर्गत वैसे सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय जहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है, को निम्नानुसार सदर अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में जिला रेजिडेन्सी कार्यक्रम हेतु संबद्ध किया जाता है-

क्र0 सं0	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला का नाम
1	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	पटना
2	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	वैशाली/पटना
3	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	भोजपुर/पटना
4	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा	मधुबनी/समस्तीपुर
5	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
6	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	भागलपुर/बाँका
7	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया	गया
8	भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा	नालन्दा/नवादा
9	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/शिवहर
10	माता गुजरी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, किशनगंज	किशनगंज/अररिया
11	कटिहार चिकित्सा महाविद्यालय, कटिहार	कटिहार/खगड़िया
12	नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुहार, रोहतास	सासाराम/भभुआ

3- सम्बद्ध जिलों के सिविल सर्जन द्वारा छात्रों को जिला रेजिडेन्सी कार्यक्रम हेतु संस्थान आवंटन किया जायेगा।

4- विशेष परिस्थिति में छात्र विशेष के लिए सरकारी/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए संबद्ध जिलों में बदलाव का अधिकार निदेशक प्रमुख (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवाएँ को होगा। इनकी अनुपस्थिति में यह अधिकार निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ को होगा।

5- सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को जिला रेजिडेन्सी कार्यक्रम पूर्ण करने हेतु संबद्ध जिलों में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

Sri Krishan Medical College, Muz.

Letter No:- 5123/23

Date:- 29/9/23

23.8.23

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

अक

क्रमशः

ज्ञापांक:-1/विविध-29/2023-617(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक-23/8/2023

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011/अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077/The Assistant Directorate General (ME), Directorate General of Health Services, 352-A, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/डीन, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी डीम्ड विश्वविद्यालय, बिहार/सभी संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/सदस्य सचिव, सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी संबंधित अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/निदेशक, लोकनाथक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, पटना/अधीक्षक, राजेन्द्र नगर सुपरस्पेशियलिटी नेत्र अस्पताल, पटना/ऑफिसर इन्चार्ज, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया/अधीक्षक, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

57-
23.8.23
सरकार के संयुक्त सचिव
3/